

कार्यलय केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय फर्रुखाबाद।

विज्ञप्ति


माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक 2382/XXIV- CPC/ E-Courts/ Allahabad, dated: 19.09.2017 के अनुपालन में कम्प्यूटर अनुभाग के लिपिक द्वारा नोडल अधिकारी कम्प्यूटर्स जनपद न्यायालय फर्रुखाबाद को प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांकित 28.09.2017 पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय फर्रुखाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित 06.10.2017 तत्पश्चात पुनः नोडल अधिकारी कम्प्यूटर्स द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांकित 26.02.2018 पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय फर्रुखाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.03.2018 के अनुपालन में, जनपद न्यायालय फर्रुखाबाद में कम्प्यूटर में प्रयोग होने वाले निम्नांकित उपकरणों के रख रखाव एवं मरम्मत किये जाने हेतु पुनः कुटेशन आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक व्यक्ति अपने-अपने कुटेशन बन्द लिफाफे में दिनांक 28.03.2018 की सायं 04.00 बजे तक केन्द्रीय नजारत जनपद न्यायालय फर्रुखाबाद में केन्द्रीय नाजिर को प्राप्त करा सकते हैं या डाक से भेज सकते हैं।

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय फर्रुखाबाद को पूर्ण अधिकार होगा कि वह प्राप्त कुटेशनों को बिना कोई कारण दर्शित किये किसी भी स्तर पर अस्वीकृत कर सकते हैं।

वांछित उपकरण जो रख रखाव एवं मरम्मत किये जाने हैं:-

84 थिन क्लाइन्ट, 28 स्लिम क्लाइन्ट, 28 एच0 पी0 लेजर-जेट प्रिन्टर, एवं LAN के लिए लगे 7 स्विच 28 पोर्ट के एवं 2 स्विच 8 पोर्ट के ।

दिनांक: 19.03.2018

  
(बलजोर सिंह)

प्रभारी अधिकारी, नजारत,  
जनपद न्यायालय, फर्रुखाबाद।